न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण सं. — 3/2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.हिमताराम पुत्र धनाराम 2.मसराराम पुत्र धनाराम 3.पिथाराम पुत्र धनाराम 4.होकाराम पुत्र धनाराम 5.पाताराम पुत्र धनाराम जातियान् मेगवंशी,निवासीगण ऐलाना, तहसील व जिला जालोर		1.सुरजपुरी पुत्र गुलाबपुरीजी 2.हंसपुरी पुत्र गुलाबपुरीजी 3.सोमपुरी पुत्र गुलाबपुरीजी जाति स्वामी, निवासी ऐलाना, तहसील व जिला जालोर 4.मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा उम्मेदाबाद जरिये शाखा प्रबन्धक, मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा उम्मेदाबाद 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
1.श्री तेजसिंह बालावत् ,अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
2.श्री सन्तोषपुरी,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1से 3 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.5 की ओर से।
4.अप्रार्थी सं.4 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 11.9.2019

1. प्रार्थीगण के अनुसार रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मौजा ऐलाना के पुराने खसरा नम्बर 753 रकबा21 बीघा 8 बिस्वा ,खसरा नम्बर 752 रकबा 16 बिस्वा ,की खातेदारी हिमता,पिथा, होका, पाता,पिता धना नाबालिग जरिये कुदरती वली धना वल्द डूंगा, कौम मेगवंशी 1/2,जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, सुरजपुरी, हंसपुरी,सोमपुरी पि. गुलाबपुरी नाबालिग जरिये कुदरती वली गुलाबपुरी, कौम स्वामी 1/2 हिस्सा, साकिन देह खातेदार दर्ज थी जो कि स्वर्ण जाति ओ. बी.सी.वर्ग के

सदस्य है,उपरोत आराजी में 1/2 हिस्सा हिमता वगैराह तथा 1/2 हिस्सा सुरजपुरी वगैराह के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज थे। द्वितीय सेटलमेन्ट में उपरोक्त संयुक्त खातेदारी आराजी का विभाजन बंटवाडा किया गया , पुराने खसरा नम्बर 753 रकबा 21बीघा 8 बिस्वा , खसरा नम्बर 752 रकबा16बिस्वा के द्वितीय सेटलेमेन्ट के नवीन खसरा नम्बर 2693 रकबा 1.46हेक्टर व खसरा नम्बर 2704 रकबा 1.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 2705 रकबा0.01 हेक्टर ,खसरा नम्बर 2706 रकबा 0.15 हेक्टर बने, सेटलमेन्ट अधिकारी भू प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर का आपस में बंटवाडा किया गया तथा बंटवाडा में हिमता,मसरा पिथा होका,पाता पि. धना कौम मेगवंशी के हिस्से में खसरा नम्बर 2693 रकबा 1.46 हेक्टर अलग से हिस्सा दर्ज किया गया तथा सुरजपुरी,हंसपुरी,सोमपुरी पि. गुलाबपुरी कौम स्वामी के हिस्से में खसरा नम्बर 2704 रकबा 1.75 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 2705,2706 रकबा 0.16 हेक्टर हिमताराम,मसराराम,पिथा,होका,पाता पि.धना कौम मेगवंशी 1/2 , सुरजपुरी ,हंसपुरी,सोमपुरी पिता गुलाबपुरी कौम स्वामी 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज किया गया। वक्त द्वितीय सेटलमेन्ट में ए.आर.ओ. ने दिनांक 25.9.13 को बी फाईल द्वारा बंटवाडा किया गया तथा बंटवाडा का नामान्तरकरण सं. 932 दिनांक 27.9.1993 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया। बंटवाडा में खसरा नम्बर 2693 रकबा 1.46 हेक्टर की आराजी हिमता वगैराह के हिस्से में दर्ज की तथा खसरा नम्बर 2704 रकबा 1.75 हेक्टर की आराजी सुरजपुरी,हंसपुरी,सोमपुरी पि. गुलाबपुरी कौम स्वामी के नाम से दर्ज की गई। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी में 1/2,1/2 हिस्सा समान होने के बावजूद भी सुरजपुरी वगैराह के नाम ज्यादा खातेदारी बंटवाडा में दर्ज कर दी गई तथा हिमता वगेराह के नाम से खातेदारी कम दर्ज कर दी गई तथा प्रार्थीगण की खातेदारी में से 0.1450 हेक्टर आराजी कम कर के सुरजपुरी वगैराह की खातेदारी खसरा नम्बर 2704 में जोड दी गई। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य तथा अप्रार्थी सं.1 से 3स्वर्ण जाति ओ.बी.सी. वर्ग के सदस्य है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत् किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की भूमि को किसी स्वर्ण तथा ओ.बी.सी.के नाम से किसी प्रकार से अन्तरण नहीं किया जा सकता तथा अन्य वर्ग के सदस्यों के नाम से खातेदारी दर्ज नही की जा सकती, खसरा नम्बर 2704 रकबा 1.75 हेक्टर में प्रार्थीगण की खातेदारी में से 0.1450 हेक्टर भूमि कम कर जोड दी जो गलत व नियम विरूद्ध कृत्य भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया है, सैटलमेन्ट में भूमि को कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। दिनांक 27.10.2015 को प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं.1

से 3 ने धमकी दी कि प्रार्थीगण जो काश्त करते है उनमें हमारी भूमि आती है, तब पुरानी नकलो हेतु प्रार्थीगण ने आवेदन किया जिसकी अन्तिम नकल दिनांक 3.12.2015को मिली ,अन्तिम नकल प्राप्त होने की तारीख से प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद पेश है फिर भी किसी प्रकार की देरी मानी जाये तो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र संलग्न पेश है। अतः द्वितिय सेटलमेन्ट में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा मौजा ऐलाना के पुराने खसरा नम्बर 753 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 752 रकबा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 2693,2704,2705,2706 का बी फाईल नं.353 से 358 में बंटवाडा तथा नामान्तरकरण सं. 932 दिनांक 27.3.93 को खारिज कर खसरा नम्बर 2704 रकबा 1.75 हेक्टर में से 0.1450 हेक्टर भूमि कम कर प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जावे। प्रार्थीगण ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर रेफरेन्स प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण सं.1 से 3 के वकील ने दिनांक 12.4.2016को जवाब पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष बंटवाडा दिनांक 27.9.1993 को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने से पूर्व प्रार्थनापत्र पर अंगुष्ठ निशान करके सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश हुए थे उसके बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बयान भी मिसल कायम कर लिये गये थे,इस स्थिति में बंटवाडा करीब 23वर्ष पूर्व हुआ जो आपसी सहमति से व सक्षम अधिकारी के समक्ष निष्पादित हुआ, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक27.9.1993 से लगातार है तथा नामान्तरकरण सं.932 जो बंटवाडे के तहत् राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम अलग अलग दर्ज किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को 23 वर्षो से है तथा बाद नामान्तरकरण के जमाबंदी में भी अलग अलग नाम दर्ज है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित किया है कि इसकी जानकारी दिनांक 3.12.2015को हुई जो सरासर गलत व झूठ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र म्याद बाहर है,देरी कन्डोन करने योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने अपने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा ऐलाना के पुराने खसरा नम्बर 753 रकबा21 बीघा 8 बिस्वा ,खसरा नम्बर 752 रकबा 16 बिस्वा ,की खातेदारी हिमता,पिथा,होका,पाता,पिता धना नाबालिग जरिये कुदरती वली धना वल्द डूंगा, कौम मेगवंशी 1/2,जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है, सुरजपुरी, हंसपुरी,सोमपुरी पि. गुलाबपुरी नाबालिग जरिये कुदरती वली गुलाबपुरी, कौम स्वामी 1/2 हिस्सा, साकिन देह खातेदार दर्ज थी जो कि स्वर्ण जाति ओ.बी.सी.वर्ग के सदस्य है,उपरोत आराजी में 1/2 हिस्सा हिमता वगैराह तथा 1/2 हिस्सा सुरजपुरी वगैराह के नाम से संयुक्त खातेदारी दर्ज थे, पुराने खसरा नम्बर 753 रकबा 21बीघा 8 बिस्वा , खसरा नम्बर 752 रकबा16बिस्वा के द्वितीय सेटलेमेन्ट के नवीन खसरा नम्बर 2693 रकबा 1.46हेक्टर व खसरा नम्बर 2704 रकबा 1.75 हेक्टर व खसरा नम्बर 2705 रकबा0.01 हेक्टर ,खसरा नम्बर 2706 रकबा 0.15 हेक्टर बने, आपसी सहमति बंटवाडा में हिमता,मसरा पिथा होका,पाता पि. धना कौम मेगवंशी के हिस्से में खसरा नम्बर 2693 रकबा 1.46 हेक्टर अलग से हिस्सा दर्ज किया गया तथा सुरजपुरी,हंसपुरी,सोमपुरी पि. गुलाबपुरी कौम स्वामी के हिस्से में खसरा नम्बर 2704 रकबा 1.75 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 2705,2706 रकबा 0.16 हेक्टर हिमताराम, मसराराम, पिथा,होका,पाता पि.धना कौम मेगवंशी 1/2,सुरजपुरी, हंसपुरी,सोमपुरी पिता गुलाबपुरी कौम स्वामी 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज किया गया। बंटवाडा का नामान्तरकरण सं. 932 दिनांक 27.9.1993 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया। संयुक्त खातेदारी में 1/2,1/2 हिस्सा समान होने के बावजूद भी सुरजपुरी वगैराह के नाम बंटवाडा में ज्यादा खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा हिमता वगेराह के नाम से खातेदारी कम दर्ज कर दी गई तथा प्रार्थीगण की खातेदारी में से 0.1450 हेक्टर आराजी कम कर के सुरजपुरी वगैराह की खातेदारी खसरा नम्बर 2704 में जोड दी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत् किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की भूमि को किसी स्वर्ण तथा ओ.बी.सी.के नाम से किसी प्रकार से अन्तरण नहीं किया जा सकता,प्रार्थीगण ने आर आर डी 1996 पेज 179,राज.सरकार बनाम डालू व अन्य,निर्णय दिनांक 26.6. 1995 तथा आर आर डी 1983 पेज 159,बालू बनाम बिरडा, निर्णय दिनांक 18.3.1982 की नजीर इसके समर्थन में पेश की। इसके विपरीत अप्रार्थीगण सं.1 से 3 के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच सहायक भू प्रबन्ध

अधिकारी के समक्ष बंटवाडा दिनांक 27.9.1993 को आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया था,बंटवाडा करीब 23वर्ष पूर्व हुआ जो आपसी सहमति से व सक्षम अधिकारी के समक्ष निष्पादित हुआ, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक27.9.1993 से लगातार है तथा नामान्तरकरण सं.932 जो बंटवाडे के तहत् राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम अलग अलग दर्ज किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को 23 वर्षो से है तथा बाद नामान्तरकरण के जमाबंदी में भी अलग अलग नाम दर्ज है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम में जानकारी दिनांक 3.12.2015 को होना बताया जो गलत व झूठ है। अतः प्रार्थीगण का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र म्याद बाहर होने से खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रेफरेन्स सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी ,जोधपुर के आदेश दिनांक 25.9.1993के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।आर बी जे 2010 पेज 244,सरकार बनाम भगवानाराम चेरिटेबल ट्रस्ट में यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि सहायक भू अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध रेफरेन्स करने हेतु कलेक्टर सक्षम नहीं है,उक्त रेफरेन्स निदेशक, भू अभिलेख द्वारा ही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी को रेफरेन्स सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 11.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 15:39:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: